रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 2013/माघ 3, 1934

No. 34] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2013/MAGHA 3, 1934

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 21 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 39(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में उपनिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (उपनिदेशक, एटीआई) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

7. **सेवा की पात्रता.**—इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा ।

338 GI/2013

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड / ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7	8
उपनिदेशक (एटीआई, डीएई)	01* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह " क", राजपत्रित	वेतन बैंड - 3 15,600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	विभाग या केन्द्रीय सेवा समूह 'क' के किसी प्रशासनिक या लेखा काडर के ऐसे अधिकारियों में से जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से किसी विद्या विशेष में बैचलर डिग्री और/या	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

		विधि में डिग्री या समतुल्य ; और (ii) केन्द्रीय सरकार के स्थापन के क्षेत्र में नियमों या विनियमों या प्रक्रियाओं या वित्तीय प्रबंध पद्धतियों को लागू करने का पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समतुल्य ; (ii) अध्यापन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव ; (iii) निम्नलिखित विषय के किसी एक विषय का विशेषज्ञीय ज्ञान :- (क) लोक प्रशासन ; (ख) व्यवहार विज्ञान ; (ग) संघटनात्मक व्यवहार ; (घ) प्रबंध सूचना प्रणाली ; (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी ; (च) विनिश्चय क्षमता ; (छ) बजट संपादन ; (ज) प्रारंभिक सांख्यिकी । **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. 21/1(3)/2009-सीसीएस/पीएफ/1045]

स्वाति पाण्डेय, निदेशक

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st December, 2012

G.S.R. 39(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Deputy Director, ATI) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the pay band and grade pay/pay scale.**—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified at columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. **Liability of service.**—Any person appointed to the said post under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Pay band/ Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotses.	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case nf recruitment by promotion or deputation er absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Deputy Director (Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy)	01* (2012) * Subject to variation dependant on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted	PB-3 Rs. 15600-39100, Grade Pay: Rs.6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or absorption	From among the Officers of any Administrative or Accounts Cadres of the Department or Central Services Group 'A' holding analogous posts on regular basis and possessing the following educational qualifications and experience: Essential : (i) Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent; and (ii) Five years experience in application of Rules, Regulations or Procedures in the area of establishment or financial management practices in Central Government. Desirable : (i) Master's Degree / Bachelor of Law from a recognized University or equivalent; (ii) Teaching experience / organizing training programmes;	Not applicable	Not applicable

										(iii) Specialized knowledge of any one of the following subjects:- (a) Public Administratioo; (b) Behavioural Sciences; (c) Organizational Behaviour; (d) Management Infarmation System; (e) Information Technology; (f) Decision Making; (g) Performance Budgetiog; (h) Elementary Statiatics Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediataly preceding thie appointment in the same nr some other organizntion/department of the Central Government shall ordinsrily not exceed three years. Tho maximum age limit for appniatment by deputation shall be oot exceeding 56 years as on the closing date or the receipt of applications.		

[F. No. 21/1(3)/2009-CCS/PF/1045]

SWATI PANDEY, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.